

एक बार जो सामान तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों में पहुंचता है, वो कभी बाहर नहीं निकलता

तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बारे में अजीबोगरीब कहानियाँ सामने आ रही हैं

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मई। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों से लगातार ऐसी अजीब चीजें बरामद हो रही हैं, जो किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में नहीं होनी चाहिए। इससे यह समझ में आ रहा है कि टीएमसी ने किस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ा था।

आज के समय में किसी राज्य की सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी एक बड़ी कंपनी की तरह होती है, जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। केवल पश्चिम बंगाल को ही देखें। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को विधानसभा चुनावों के अलावा, नगर निकायों के चुनावों में भी 4,000-5,000 उम्मीदवार उतारने पड़ते हैं।

जैसे-जैसे आप पदानुक्रम में नीचे जाते हैं, मैनपावर की जरूरत और बढ़ती जाती है। इसलिए सभी चुनावी निकायों के लिए सही और काबिल लोगों को ढूँढना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। हालांकि, उससे भी कठिन काम है, उन लोगों की काबिलियत और उनके कामकाज पर लगातार सही निगरान

लोगों ने जब टीएमसी के दफ्तरों पर धावा बोला तो वहाँ तिरपाल का ज़खीरा मिला, जो शायद भारी बारिश या बाढ़ के समय जनता को देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था।

एक अन्य दफ्तर में बहुत से प्लास्टिक के हरे व नीले डस्टबिन मिले, जो जैविक कचरे व अजैविक कचरे के लिए थे। पर, इन्हें भी जमा कर लिया गया, पता नहीं क्यों?

आम जनता के लिए भेजी जाने वाली हर सामग्री, जब भी तृणमूल के दफ्तरों में पहुंचती थी तो वहाँ जमा हो जाती थी, कभी भी ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंची।

कुछ दफ्तरों में तो बड़ी संख्या में जमीनों और भवनों के मूल दस्तावेज भी मिले हैं पुलिस को यकीन है कि इसमें इन क्षेत्रों के तृणमूल पार्षद लिपि हैं। पुलिस ने कई पार्षदों व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भी कई दस्तावेज मिले हैं।

एक कार्यकर्ता के पास मछलियों के भोजन के 13 बैग मिले, यह पता नहीं उसने इतना सारा मछलियों का खाना क्यों जमा कर रखा था।

बनाए रखना।

इसी संदर्भ में, पूर्व पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच हो रही हिंसक और विवादित झड़पों की मौजूदा घटनाएँ इस समस्या की असली जड़ को सामने ला रही हैं।

जब स्थानीय लोग पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी के दफ्तरों पर छापे मार रहे हैं और वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो उन्हें वहाँ तिरपालों के ढेर मिल रहे हैं। ये तिरपाल भारी बारिश, बाढ़, तूफान और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के समय

जरूरतमंद लोगों में बांटने के लिए थे। ये राहत सामग्री लोगों में बांटने के बजाय, नगरनिकाय के पार्षदों और पार्टी पदाधिकारियों ने अपने दफ्तरों में जमा करके रखी हुई थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हरियाणा में चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

रेल मंत्रालय ने जींद-सोनीपत सैक्शन में 10 कोच की ट्रेन चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मई। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, रेलवे मंत्रालय ने जींद और सोनीपत के बीच देश की 10-कोच वाली पहली हाइड्रोजन डीईएमयू (डीजल-इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा विकास और रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, "यह हाइड्रोजन डीईएमयू ट्रेन भविष्य की परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए एक मील का पत्थर साबित होगी।"

जींद, हरियाणा में हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट से हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम में कम्प्रेसड हाइड्रोजन गैस (सीएचजी) के भंडारण और भराई के

ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, हाल ही में इसका ट्रायल किया गया था।

जींद में हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट से हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम में कम्प्रेसड हाइड्रोजन के भंडारण के लिए लाइसेंस भी दिया गया है।

लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है, ताकि इसे ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

यह ट्रेन अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और इसके ट्रायल रन पहले ही किए जा चुके हैं।

रेलवे बोर्ड के सिविल इंजीनियरिंग निदेशक किशन रावत द्वारा 22 मई को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन के महानिदेशक, और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को भेजे गए पत्र के अनुसार, रोलिंग स्टॉक की मंजूरी

केवल जींद-सोनीपत सेक्शन पर संचालन के लिए दी गई है, जबकि ट्रेनसेट का निर्धारित रखरखाव दिल्ली की शकूरबस्ती में किया जाएगा।

रावत ने कहा कि जींद-शकूरबस्ती-जींद के बीच ट्रेनसेट को "डैड कंडीशन" में आवाजाही (लोकमोर्टिव द्वारा खींचकर) के लिए आवश्यक अनुमति मौजूदा नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि कंट्रोल रूम में 24/7 कर्मचारियों की तैनाती, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जहरीली शराब से पुणे व पिंपरी-चिंचवाड़ में 20 की मौत

पुणे, 29 मई। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले में पिंपरी चिंचवड़

मुख्य आपूर्तिकर्ता योगेश वानखेडे सहित आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया।

के फुगेवाड़ी इलाके में 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि पुणे के हडपसर में छह लोगों ने दम तोड़ा। फिलहाल आठ लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस और राज्य आबकारी विभाग ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने मुख्य आपूर्तिकर्ता योगेश वानखेडे समेत आठ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘जांच के लिए प्रदेश में पर्याप्त एफ.एस.एल. लैब नहीं होना एक चिंता का विषय’

हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए, डीजी कानून व्यवस्था सहित अन्य अफसरों को अगली सुनवाई पर 21 जुलाई को वीसी के जरिए कोर्ट से जुड़ने के निर्देश दिए हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में कहा है कि प्रदेश में पर्याप्त जांच प्रयोगशालाएँ उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में पुलिस दूसरे राज्यों में स्थिति प्रयोगशालाओं की ओर से दी रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच करने के लिए मजबूर है, जिससे जांच में अनावश्यक देरी होती है और अपराधी अक्सर इसी देरी का लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि जांच करने वाले कर्मचारियों के पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि एफएसएल रिपोर्टों समय पर मिल सकें।

अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस जांच शाखाओं को मजबूत करना चाहिए और जांच में तेजी के प्रयास किए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि जांच में

हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि, "सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रकाश सिंह के मामले में 20 साल पहले अलग-अलग विंग (कानून व्यवस्था तथा अपराध व जांच) बनाने के संबंध में दिए आदेश की पालना आज तक नहीं हो पाई है।"

इस प्रकरण में एडीजी वीके सिंह ने अदालत में बताया कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में डीजीपी ने एक कमेटी गठित की है। जिसने रिपोर्ट दी है कि पुलिस थानों में अलग-अलग कानून व्यवस्था, अनुसंधान और प्रशासनिक विंग स्थापित की जाएगी।

होने वाली देरी त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करती है। वहीं अदालत ने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव, एसोएस गू और डीजीपी को भेजी है। जस्टिस अरूप कुमार ढंङ की

एकलपीठ ने यह आदेश प्रेम प्रकाश की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने डीजी कानून व्यवस्था सहित अन्य अफसरों को आगामी सुनवाई 21 जुलाई को

वीसी के जरिए अदालत से जुड़ने को कहा है।

अदालत ने कहा कि कई बार आपराधिक मामलों की जांच समय पर नहीं होती, क्योंकि जांच अधिकारी को ही कानून व्यवस्था का जिम्मा सौंप दिया जाता है। जिसके चलते उसे दोनों काम एक साथ करने में कठिनाई होती है। विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट में भी दोनों कामों के लिए अलग-अलग व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रकाश सिंह के मामले में बीस साल पहले अलग-अलग विंग (कानून व्यवस्था तथा अपराध व जांच) बनाने के संबंध में दिए आदेश की पालना आज तक नहीं हो पाई है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूपी में बेतवा नदी का निर्माणाधीन पुल ढहा, 6 की मौत

हमीरपुर, 29 मई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर बन रहे नए पुल की स्लैब व शटरिंग शुक्रवार तड़के आंधी और तूफान के बीच भरभराकर ढह गई, जिसके मलबे में दबकर छह मजदूरों की मौत हो गई। कुछ

तेज आंधी तूफान से पुल के स्लैब की शटरिंग ढह गई। पुल के नीचे सो रहे 6 मजदूर मलबे में दब गये।

लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ टीम को लगाया गया है।

जानकारी के मुताबिक, जिले के ललपुर क्षेत्र के परसनी और कंडौर के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उन्होंने वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की जगह ली, जिन्हें पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख बनाया गया।

फॉरवर्ड तैनाती को लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी। वाइस एडमिरल कोचर ने वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की जगह ली है, जिन्हें पश्चिमी नौसेना कमान का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जमानत आदेश उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनाए जाएं, और कैदी की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जेल प्रशासन को तुरंत सूचित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, जिसमें फैसले सुनाने में बढ़ती देरी और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे वादियों को हो रही कठिनाइयों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।

सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि फैसलों में लंबी देरी न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करती

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सुस्ती पर प्रहार करते हुए कहा, "न्याय में देरी, न्याय नहीं मिलने के समान ही है" और फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय नुकसान झेलना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत याचिकाओं पर उसी दिन या अगले दिन फैसला हो जाना चाहिए और जेल प्रशासन को तुरंत इसकी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि कैदी की त्वरित रिहाई हो सके।

के बाद तीन महीने की समय सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित एक विशेष महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश में, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जमानत आवेदन सुनवाई समाप्त होने के बाद, सामान्यतः उसी दिन या,

अधिकतम, अगले दिन निपटा दिये जाएं। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत मिलने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए ताकि प्रक्रिया में चूक या संचार में विलंब के कारण कैदी अनावश्यक रूप से जेल में न रहें।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारत में न्यायिक प्रशासन पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है, जहाँ अदालतों में देरी लंबे समय से एक गंभीर चिंता का विषय रही है। इस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट की ओर से न्याय प्रणाली की दक्षता सुधारने, लंबित मामलों से होने वाली कठिनाइयों को कम करने और न्यायिक तंत्र में विश्वास बहाल करने के लिए एक निर्णायक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

आदेश के कारण उच्च न्यायालयों में प्रशासनिक सुधारों के शुरू होने की संभावना है, ताकि फैसलों की शीघ्र (शेष अंतिम पृष्ठ पर)